**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2576**

**17.03.2025 को उत्तर के लिए**

**राष्ट्रीय हरित भारत मिशन**

**2576. श्री बस्तीपति नागराजू:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (एनएमजीजाई) के अंतर्गत आरंभ की गई वन क्षेत्र, नर्सरियों और पारिस्थितिकी तंत्र पुनरुद्धार परियोजनाओं की संख्या का आन्ध्र प्रदेश सहित वर्ष, राज्य और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत सुदृढ़ किए गए गांवों और ग्राम पंचायतों, संयुक्त वन प्रबंधन समिति जैसी सामुदायिक संस्थाओं की संख्या का आन्ध्र प्रदेश सहित वर्ष, राज्य और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के आंरभ से अब तक इसके अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल निधि का वर्ष और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त मिशन के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश सहित वर्ष, राज्य और जिलावार कितने सामुदायिक वन निवासियों को सहायता प्रदान की गई?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) से (घ) राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत उल्लिखित आठ मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य भारत के वन क्षेत्र की सुरक्षा करना, बहाली करना और उसे संवर्धित करना है तथा वन और गैर-वन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी-बहाली कार्यकलाप आरंभ करके जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करना है। जीआईएम में भू-परिदृश्य दृष्टिकोण को अपनाया गया है और अनुमोदित भू-परिदृश्यों में कार्यकलापों का कार्यान्वयन संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) द्वारा किया जा रहा है। इन कार्यकलापों का कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2015-16 में आरंभ किया गया था और आंध्र प्रदेश राज्य सहित अब तक 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 155130 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर पारिस्थितिकी-बहाली कार्यकलाप किए गए हैं। जीआईएम के तहत शामिल किए गए अनुमोदित भू-परिदृश्यों की राज्यवार संख्या, गांवों की संख्या, जेएफएमसी की संख्या, स्थापित की गई नर्सरियों की संख्या और पारिस्थितिकी-बहाली के लिए शामिल क्षेत्र का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। जीआईएम के अंतर्गत आवंटित/जारी की गई धनराशि, उपयोग की गई धनराशि तथा किए गए समग्र पारिस्थितिकी-बहाली कार्यकलापों का राज्यवार और वर्षवार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

*****

**अनुलग्नक-I**

**"राष्ट्रीय हरित भारत मिशन" के संबंध में श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा दिनांक 17.03.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2576 के भाग (क), (ख) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

**तालिका-1: वर्ष 2015-16 से अब तक जीआईएम के अंतर्गत भू-परिदृश्य आधारित कार्यकलापों, शामिल संयुक्त वन प्रबंधन समितियों, कवर किए गए गांवों, स्थापित नर्सरियों और पारिस्थितिकी बहाली के लिए शामिल किए गए क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा**

| क्र.सं. | राज्य का नाम | भू-परिदृश्य आधारित कार्यकलापों की संख्या | शामिल संयुक्त वित्त प्रबंधन समितियों की संख्या | गांवों की संख्या | नर्सरियों की संख्या | पारिस्थितिकी बहाली के अंतर्गत शामिल किया गया क्षेत्र (क्षेत्रफल हेक्टेयर में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 23 | 23 | 23 | 0 | 1,433 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 136 | 136 | 136 | 75 | 0 |
| 3 | छत्तीसगढ | 80 | 84 | 80 | 0 | 19,128 |
| 4 | हरियाणा | 614 | 132 | 614 | 162 | 1,301 |
| 5 | हिमाचल प्रदेश | 107 | 107 | 242 | 15 | 0 |
| 6 | जम्मू और कश्मीर | 37 | 137 | 178 | 7 | 1,066 |
| 7 | कर्नाटक | 18 | 18 | 41 | 4 | 2,722 |
| 8 | केरल | 184 | 597 | 184 | 52 | 12,297 |
| 9 | मध्य प्रदेश | 735 | 237 | 322 | 1 | 26,597 |
| 10 | महाराष्ट्र | 88 | 88 | 88 | 0 | 5,223 |
| 11 | मणिपुर | 139 | 139 | 139 | 627 | 14,432 |
| 12 | मिजोरम | 59 | 59 | 59 | 13 | 19,643 |
| 13 | ओडिशा | 27 | 432 | 500 | 73 | 20,711 |
| 14 | पंजाब | 104 | 827 | 544 | 0 | 6,568 |
| 15 | सिक्किम | 150 | 150 | 150 | 22 | 6,567 |
| 16 | उत्तराखंड | 142 | 521 | 521 | 0 | 14,836 |
| 17 | पश्चिम बंगाल | 255 | 255 | 255 | 0 | 2,606 |
| 18 | उत्तर प्रदेश | 29 | 70 | 91 | 0 | 0 |
| | **कुल** | **2927** | **4012** | **4167** | **1051** | **155130** |

***टिप्पणी:***

*कोई नर्सरी न होने के मामले में, सभी रोपण सामग्री उन नर्सरियों से प्राप्त की जाती है जो राज्य में पहले से मौजूद हैं और विभिन्न राज्य कार्यक्रमों और पहलों के तहत स्थापित की गई हैं।*

*अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मामले में, राज्यों ने अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार पारिस्थितिकी-बहाली संबंधी कार्यकलापों को आगे बढ़ाने के लिए अग्रिम कार्य शुरू कर दिया है।*

*****

**अनुलग्नक-II**

**"राष्ट्रीय हरित भारत मिशन" के संबंध में श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा दिनांक 17.03.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2576 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

**तालिका-2: जीआईएम के तहत वित्त वर्ष 2015-16 से अब तक जारी निधि का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा (करोड़ रुपए में)**

| क्र. सं. | राज्य | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | कुल जारी निधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | आंध्र प्रदेश | 0.00 | 1.06 | 0.45 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **6.19** |
| **2** | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.43 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | **34.71** |
| **3** | छत्तीसगढ | 23.39 | 20.23 | 10.95 | 5.36 | 5.04 | 1.66 | 6.12 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | **72.84** |
| **4** | हरियाणा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.55 | 0.00 | 7.60 | **30.58** | **47.73** |
| **5** | हिमाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **17.09** |
| **6** | जम्मू और कश्मीर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.73 | 0.00 | 6.49 | 0.00 | **4.50** | **36.72** |
| **7** | कर्नाटक | 1.06 | 0.87 | 0.86 | 1.62 | 2.21 | 2.35 | 4.45 | 2.93 | 2.33 | **4.99** | **23.66** |
| **8** | केरल | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **25.47** |
| **9** | मध्य प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.16 | 30.65 | 0.00 | 18.29 | 17.93 | 8.62 | **23.61** | **123.26** |
| **10** | महाराष्ट्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **10.30** |
| **11** | मणिपुर | 8.35 | 7.82 | 6.42 | 4.89 | 4.16 | 6.74 | 9.93 | 5.45 | 8.91 | 0.00 | **62.66** |
| **12** | मिजोरम | 0.00 | 9.88 | 20.00 | 22.36 | 17.71 | 2.99 | 29.86 | 36.27 | 21.13 | 0.00 | **160.21** |
| **13** | ओडिशा | 1.83 | 1.39 | 1.41 | 4.74 | 14.19 | 26.01 | 17.74 | 8.4756 | 12.59 | 0.00 | **88.37** |
| **14** | पंजाब | 6.12 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 3.32 | 2.7393 | 5.38 | 0.00 | **26.95** |
| **15** | सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 3.12 | 2.19 | 7.77 | 6.57 | 7.50 | **12.24** | **42.73** |
| **16** | उत्तराखंड | 20.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.89 | 33.99 | 28.40 | 31.94 | **25.16** | **167.59** |
| **17** | पश्चिम बंगाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | **10.95** |
| **18** | उत्तर प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | **5.43** |
| **कुल** | | **70.09** | **41.25** | **46.30** | **79.43** | **106.01** | **112.65** | **156.46** | **137.29** | **112.28** | **101.09** | **962.87** |

**तालिका -3: जीआईएम के तहत वित्त वर्ष 2015-16 से अब तक उपयोग की गई निधि का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा (करोड़ रुपए में)**

| क्र. सं. | राज्य | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | उपयोग की गई कुल धनराशि (करोड़ रुपए में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | आंध्र प्रदेश | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 1.44 | **1.30** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **4.17** |
| **2** | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **10.56** | 0.00 | 0.00 | **10.56** |
| **3** | छत्तीसगढ | 23.39 | 20.23 | 10.95 | 5.36 | 5.04 | 1.31 | **0.35** | **4.68** | 0.00 | 0.00 | **71.31** |
| **4** | हरियाणा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **8.32** | **8.49** | **10.34** | **16.82** |
| **5** | हिमाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **6.55** | **2.458** | 0.00 | **6.55** |
| **6** | जम्मू और कश्मीर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **13.68** | **12.00** | **6.08** | 0.00 | **31.70** |
| **7** | कर्नाटक | 1.06 | 0.87 | 0.67 | 2.34 | 1.49 | 2.33 | **4.47** | **2.872** | **2.396** | 0.00 | **18.50** |
| **8** | केरल | 0.00 | 3.83 | 5.32 | 0.00 | 0.79 | 1.97 | **9.18** | **4.37** | 0.00 | 0.00 | **24.89** |
| **9** | मध्य प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 19.76 | 24.86 | **10.66** | **23.4** | **10.20** | 0.00 | **99.11** |
| **10** | महाराष्ट्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **1.78** | 0.00 | 0.00 | **9.43** |
| **11** | मणिपुर | 8.35 | 7.82 | 6.42 | 4.89 | 4.16 | 6.74 | **9.93** | **5.45** | 0.00 | 0.00 | **53.75** |
| **12** | मिजोरम | 0.00 | 9.88 | 20.00 | 22.36 | 17.71 | 2.99 | **29.86** | **36.27** | 0.00 | 0.00 | **139.08** |
| **13** | ओडिशा | 1.83 | 1.39 | 1.41 | 4.74 | 10.63 | 22.01 | **11.41** | **17.77** | **13.10** | 0.00 | **84.28** |
| **14** | पंजाब | 0.00 | 6.06 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | **3.25** | **2.21** | **3.12** | 0.00 | **21.05** |
| **15** | सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 3.12 | 2.19 | **7.77** | **6.39** | **7.68** | 0.00 | **30.48** |
| **16** | उत्तराखंड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.30 | 8.91 | 24.73 | **27.51** | **35.94** | **33.75** | 0.00 | **142.14** |
| **17** | पश्चिम बंगाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **9.43** | **0.76** | 0.00 | 0.00 | **10.18** |
| **18** | उत्तर प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **3.98** | 0.00 | 3.98 |
| **कुल** | | **34.62** | **51.14** | **50.37** | **72.52** | **71.62** | **94.49** | **138.79** | **179.37** | **91.27** | **10.34** | **794.54** |

**नोट:** वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, राज्य चालू वित्त वर्ष के दौरान जारी निधि का उपयोग कर रहे हैं और तदनुसार उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।